अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित 66वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF THE 66th AUTHORITY MEETING HELD ON 27.03.2024 IN HYBRID MODE, UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER/CHAIRPERSON, SEEPZ-SEZ AUTHORITY.

निम्नलिखित उपस्थित थे : –

The following were present:-

1. श्री सी.पी.एस. चौहान, जेडीसी, सीप्ज़ एसईजेड	सदस्य/सचिव	1. Shri C.P.S Chauhan, JDC,SEEPZ SEZ	Member/ Secretary
2. श्री अभय दोशी, प्रबंध निदेशक, मेसर्स फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड	सदस्य	2. Shri Abhay Doshi, MD, M/s. Fine Line Circuits Ltd.	Member
3 श्री आदिल कोटवाल, अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेसर्स क्रिएशन्स ज्वेलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य	3. Shri Adil Kotwal, Chairman/ CEO M/s.Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd.	Member
4. श्री हिमांशु धर पांडे, विदेश व्यापार उप महानिदेशक	सदस्य	4 Shri Himanshu Dhar Pandey, Dy. Directorate General of Foreign Trade	Member

श्रीमती ब्रिजिट जो, विकास आयुक्त की कार्यपालक सहायक, श्री हनीश राठी, सहायक विकास आयुक्त, (सुरक्षा(आईटी/, श्रीमती रेखा नायर, सहायक विकास आयुक्त, (ई एंड आर(कानूनी/, श्री रवींद्र कुमार, सहायक और श्री जनेश त्रिपाठी, एलडीसी और श्री जगदीश एलडीसी भी बैठक में सहायता और सुचारू संचालन के लिए उपस्थित हुए।

Smt. Bridget Joe, EA to DC; Shri Hanish Rathi, ADC (Security/IT & eprocurement), Smt. Rekha Nair, ADC (E&R/Legal), Shri Ravindra Kumar, Assistant; Shri Janesh Tripathi, LDC & Shri. Jagdish LDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद बैठक की एजेंडे पर विचार किया गया।

The Chairperson welcomed all the members present and thereafter agenda of the meeting was taken up.

कार्यसूची मद सं .1:- दिनांक 07.02.2024 को आयोजित 65वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

Agenda Item No. 1:- Confirmation of the Minutes of the 65th Authority meeting held on 07.02.2024.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से 07.02.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की

Decision: After deliberation, the Authority confirmed the Minutes of the meeting held on 07.02.2024 with consensus.

1/4

कार्यसूची मद सं .1- क-: सीप्ज़ एसईज़ेड का- वित्त वर्ष 25-2024 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव |

Agenda Item No. 1A:- Proposal for approval of Annual Financial Statements for F.Y. 2024-25 of SEEPZ-SEZ

SEEPZ-SEZ प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विस्तार से चर्चा की गई और नोट किया गया कि वित्तीय विवरण विस्तृत नहीं है अर्थात पूंजी प्रमुख और राजस्व प्रमुख और तुलनात्मक विवरण का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईओयू मॉनीटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता आवश्यक नहीं है क्योंकि इसे निशुल्क आधार पर ईआरपी मॉड्यूल के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

The Annual Financial Statements for FY. 2024-25 of SEEPZ-SEZ Authority was discussed in detail and noted that Financial statement is not in detailed i.e Capital Head and Revenue Head and also comparative statement is not mentioned. Further the requirement for software for EOU monitoring is not necessary as the same will be covered under the ERP Module on pro-bono basis.

निर्णय: प्राधिकरण ने वार्षिक वित्तीय विवरणों का विवरण नोट किया और सीए को अगली प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, एक सप्ताह के भीतर विस्तृत वित्तीय विवरण 2024-25 को 2023-24 के वित्तीय विवरण के साथ तुलना शीट के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

Decision: The Authority noted the details of Annual Financial Statements and directed the CA to submit the detailed Financial statement 2024-25 with comparison sheet with financial statement of 2023-24 within a week to present before the next Authority Meeting.

कार्यसूची मद सं. 2:- अग्रदाय के माध्यम से किया गया मासिक विवरण व्यय|

Agenda Item No. 2:- Monthly Statement Expenditure incurred through Imprest.

07.02.2024 को आयोजित 65वीं प्राधिकरण बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एजेंडा आइटम नंबर 02, प्राधिकरण की बैठक से पहले इम्प्रेस्ट के माध्यम से किए गए मासिक विवरण व्यय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। फरवरी, 2024 माह में हुए व्यय को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

As per the Minutes of 65th Authority meeting held on 07.02.2024, Agenda Item no. 02, it was directed to submit monthly statement expenditure incurred through Imprest before the Authority meeting. The expenses incurred in the month of February, 2024 were presented before the Authority.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने फरवरी, 2024 के महीने में इम्प्रेस्ट के माध्यम से किए गए खर्चों को नोट किया |

Decision: After deliberation the Authority noted the expenses incurred through Imprest in the month of February, 2024

कार्यसूची मद सं .3:- प्राधिकरण मामलों से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक देने की प्रथा पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव।

Agenda Item No. 3:- Proposal to revisit the practice of awarding remuneration given to Govt employees for their work related to Authority Matters.

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि 29.11.2022 को आयोजित 56वीं प्राधिकरण बैठक के निर्णय के अनुसार,

Authority was appraised that as per the decision

सरकारी कर्मचारियों को उनके नियमित काम के अलावा प्राधिकरण के काम में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक दिया गया था और दिनांक 06.12.2023 को आयोजित की गई 64वें प्राधिकरण बैठक में पारिश्रमिक को डीडीसी, जेडीसी, डीसी तक भी बढ़ाया गया था।

हालाँकि, सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले ऐसे पारिश्रमिक के लिए FR49 की तुलना में इस प्रथा में कुछ अस्पष्टता और असंगतता थी और उक्त प्रथा पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया गया। डीसी, जेडीसी और डीडीसी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक प्राधिकरण को दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के महीने के लिए चुकाया गया था।

निर्णय: विचार-विमर्श और विस्तृत चर्चा के बाद, प्राधिकरण ने सभी सरकारी कर्मचारियों को प्राधिकरण मामलों से संबंधित उनके काम के लिए दिए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक देने की प्रथा को बंद करने की राय दी।

कार्यसूची मद सं .4:- मेगा सीएफसी की चल रही परियोजना के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उक्त परियोजना के लिए 74.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया गया था। उसमें से 59.09 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और अप्रयुक्त राशि 14.90 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया कि बीओक्यू से अधिक मात्रा में वृद्धि को निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः बिलों के अंतिम भुगतान हेतु वर्ष 2024 के बजट प्रावधान में 24.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित किये गये हैं।

प्राधिकरण को बताया गया कि मशीनरी लागत और इंटीरियर डिजाइन में बढ़ोतरी के चलते 34 करोड़ रुपये मंजूर किए जा सकते हैं।

निर्णय-: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर ध्यान दिया और वित्त वर्ष 2024-25 में मेगा सीएफ़सी के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने पर सहमति व्यक्त की।

of the 56th Authority Meeting held on 29.11.2022, remuneration was granted to government staff for attending Authority work in addition to their routine work and the remuneration was also extended to DDC, JDC, DC in 64th Authority meeting held on 06.12.2023.

However, there were some ambiguity and inconsistency in this practice vis-a-viz FR49 for such remuneration paid to Govt officers and it was decided to revisit the said practice. The remuneration paid to DC, JDC & DDC was repaid to Authority for the month of Dec. 2023 & Jan 2024.

Decision: After deliberation and detailed discussion, Authority was of the opinion to discontinue the practice of awarding monthly remuneration given to all the Govt employees for their work related to Authority Matters.

Agenda Item No. 4:- Proposal for updation of ongoing project of Mega CFC.

Authority was apprised that, for the FY 2023-24 budget provision of Rs.74.00 Crores was allocated for the said project. Out of that, an amount of Rs.59.09 Crores has been utilized and the unutilized amount is Rs.14.90 Crores. Authority was also informed that the increase in the quantity over and above the BoQ was approved by the Tender Evaluation Committee. Therefore Rs. 24.00 Crores has been proposed in budget provision for the year 2024 for final payment of bills.

Authority was informed that Rs. 34 crores may be approved as there is an increase in the machinery cost and interior design.

Decision: - After deliberation, Authority noted the proposal & agreed to keep a provision of Rs. 34 crores in the FY 2024-25 for Mega CFC.

कार्यसूची मद सं .5:- नेस्ट-02 की चल रही परियोजना के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उक्त परियोजना के लिए 100.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। उसमें से 18.03 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और अप्रयुक्त राशि 81.96 करोड़ रुपये है। अतः वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में बिल जारी करने हेतु 81.00 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

निर्णय-: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर ध्यान दिया और वित्त वर्ष 2024-25 में 81 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने पर सहमति व्यक्त की।

Agenda Item No. 5:- Proposal for updation of ongoing project of NEST-02 .

Authority was apprised that for the FY 2023-24 budget provision of Rs.100.00 Crores was made for the said project. Out of that, an amount of Rs.18.03 Crores has been utilized and the unutilized amount is Rs.81.96 Crores. Therefore an amount of Rs. 81.00 Crores has been proposed in budget provision for the year 2024-25 for release of bills.

Decision: - After deliberation, Authority noted the proposal & agreed to keep a provision of Rs. 81 crores in the FY 2024-25.

कार्यसूची मद सं .6:- नेस्ट-01 की चल रही परियोजना के अद्यतनीकरण का प्रस्ताव ।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उक्त परियोजना के लिए 40.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवंटित किया गया था। इसमें से 31.99 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और 7.99 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि है। इसलिए वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान में बिल जारी करने के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

निर्णय- : विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर ध्यान दिया और टीईसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त कार्य सहित अंतिम बिल बनाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखने पर सहमति व्यक्त की।

Agenda Item No. 6:- Proposal for updation of ongoing project of NEST-01

Authority was apprised that for the FY 2023-24 budget provision of Rs.40.00 Crores was allocated for the said project. Out of that, an amount of Rs.31.99 Crores has been utilized and the unutilized amount is Rs.7.99 Crores. Therefore an amount of Rs. 10.00 Crores has been proposed in budget provision for the year 2024-25 for release of bills.

Decision: - After deliberation, Authority noted the proposal & agreed to keep a provision of Rs. 10 crores in the FY 2024-25 to make final bills including the extra work done as approved by TEC.

कार्यसूची मद सं .7:- मेगा सीएफसी के भूतल (ग्राउंड फ्लोर) से लेकर 5 वें तल तक को जीजेईपीसी को सौंपने का प्रस्ताव

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि एमआईडीसी से अधिभोग प्रमाण पत्र और अंतिम फायर एनओसी प्राप्त होने पर, और प्राधिकरण और जीजेईपीसी के बीच निष्पादित एमओयू के नियमों और शर्तों के अनुसार, मेगा सीएफसी भवन की पहली मंजिल से पांचवीं मंजिल तक का कब्जा। 01.02.2024 से जीजेईपीसी को सौंप दिया गया। हालाँकि,

Agenda Item No. 7:- Proposal for handing over of Ground to 5th floor of Mega CFC to GJEPC.

Authority was appraised that on receipt of the Occupancy certificate and Final Fire NOC from MIDC, and as per the terms & conditions of the MOU executed between Authority & GJEPC, the occupation of 1st floor to 5th floor of the Mega CFC bldg. was handed over to GJEPC w.e.f. 01.02.2024. However, GJEPC, vide email dated 29.01.2024 informed that there is some work pending at

जीजेईपीसी ने दिनांक 29.01.2024 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि विभिन्न मंजिलों पर कुछ काम लंबित है और संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाना है जिसमें कुछ समय लगेगा। तदनुसार, उन्होंने अनुरोध किया कि वे 01.04.2024 से अपना परिचालन शुरू करेंगे।

जीजेईपीसी ने 01.04.2024 से लीज रेंट के भुगतान का भी अनुरोध किया था

निर्णय- : विचार-विमर्श और विस्तृत चर्चा के बाद, प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर ध्यान दिया और 01 अप्रैल 2024 से लीज किराया शुल्क लगाने का निर्देश दिया। जीजेईपीसी को मेगा सीएफसी भवन के रखरखाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए और 01.04.2024 से विभिन्न वैधानिक अनुमोदनों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

कार्यसूची मद सं .8:- सीप्ज़-सेज़ में व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक की स्थापना ।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि SEEPZ परिसर में एक स्वास्थ्य इकाई स्थापित करने की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों का पता लगाया गया था और एक "रुचि की अभिव्यक्ति" जारी करने का निर्णय लिया गया है ताकि इच्छुक डॉक्टर आवेदन कर सकें और 1 नर्स और कंपाउंडर के साथ चयनित डॉक्टर को शामिल किया जाएगा। जोन में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए।

प्राधिकरण को यह भी सूचित किया गया कि SEEPZ SEZ प्राधिकरण व्यापार/हितधारकों के साथ समन्वय में सुविधाएं प्रदान करेगा।

निर्णय-: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने ईओआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और SEEPZ में काम करने वाले सभी लोगों के लाभ के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचा और उपकरण प्रदान करने का भी निर्णय लिया।

various floor and licenses are to be obtained for operations which will take some time. Accordingly, they requested that they will commence their operations w.e.f. 01.04.2024.

GJEPC had also requested for payment of lease rent w.e.f. 01.04.2024

Decision: - After deliberation and detailed discussion, Authority noted the proposal & directed to levy lease rent charges w.e.f. 01st April 2024. GJEPC should make all necessary arrangements for maintaining the Mega CFC Bldg. and also ensure continued compliance of various statutory approvals w.e.f. 01.04.2024.

Agenda Item No. 8:- Setting up an OHC (Occupational Health Clinic) in SEEPZ SEZ.

Authority was apprised that the feasibility and modalities for setting up a health unit in SEEPZ premises was explored and it has been decided to float an "Expression of Interest" so that interested Doctors can apply and the selected Doctor alongwith 1 Nurse and compounder will be onboarded to facilitate the employees working in the Zone.

Authority was also informed that SEEPZ SEZ Authority in co-ordination with the Trade/Stakeholders will provide the facilities.

Decision: - After deliberation, the Authority approved the proposal for EoI and also decided to provide the infrastructure and equipments for setting up an Occupational Health Clinic for the benefits of all, working at SEEPZ.

1/4

तालिका कार्यसूची मद सं .1 :- रिक्त स्थान आवंटन हेतु प्रस्ताव

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि रिक्त स्थान के आधार पर 23 जनवरी 2024 को SEEPZ वेबसाइट और समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिया गया था। योग्य आवेदकों ने आवेदन किया था और समिति द्वारा आवेदनों की जांच की गई थी।

डीसी के अनुमोदन के बाद समिति की रिपोर्ट को आवेदकों से, यदि कोई हो, टिप्पणियाँ मांगने के लिए 15 दिनों के लिए SEEPZ वेबसाइट पर होस्ट किया गया था। चूंकि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए यह प्रस्तावित है कि अनंतिम आवंटन पत्र जारी किया जा सकता है ताकि उक्त प्रस्ताव को उनके प्रस्ताव की जांच और अनुमोदन पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जा सके। प्रस्ताव के अनुमोदन और एलओए जारी होने पर, संपदा अनुभाग द्वारा अंतिम आवंटन पत्र और कब्ज़ा रसीद जारी की जाएगी।

निर्णय-: विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने एसडीईएफ-आठवीं में रिक्त स्थान के आवंटन के प्रस्ताव को नोट किया और अनंतिम आवंटन पत्र जारी करने का भी निर्देश दिया।

Supplementary Agenda Item No. 1:- Proposal for allotment of Vacant space in SDF-VIII.

Authority was apprised that based on the vacant space, advertisement was hosted on the SEEPZ website on 23rd January 2024 and in newspapers also. Deserving applicants had applied and the applications were scrutinized by the Committee.

The Committee Report after approval of Development Commissioner was hosted on the SEEPZ website for 15 days seeking comments, from applicants, if any. As no comments were received, it is proposed that provisional allotment letter may be issued so that the said proposal may be placed before the Approval Committee for examination of their proposal and issuance of Letter of Approval. On approval of the proposal, and issuance of LOA, final allotment letter and possession receipt will be issued by Estate Section.

Decision: After deliberation, Authority noted the proposal for allotment of Vacant space in SDF-VIII and also directed to issue provisional allotment letter.

बैठक के दौरान चर्चा किये गये अतिरिक्त मुद्दे : –
Additional Issues Discussed during the meeting:-

मुद्दा संख्या 01:

अध्यक्ष के अनुमोदन से, व्यापार सदस्य श्री आदिल कोटवाल ने मेगा सीएफसी सीप्ज़ में कौशल और प्रशिक्षण स्कूल 'जोश' को वित्तीय सहायता का मुद्दा उठाया, जहां प्रति बैच छात्रों की संख्या 75 से 200 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें 50 विशेष रूप से दिवयांग छात्र शामिल हैं। .
इस मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि SEEPZ SEZ में निर्यात की वृद्धि के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना प्राधिकरण का दायित्व है और SEEPZ विनिर्माण इकाइयों में तैनाती के लिए कार्यबल का कौशल और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के विकास का एक अभिन्न अंग है।
इसलिए ये निर्णय लिया गया

Issue No. 1:-

With the approval of the Chairman, Trade member Shri Adil Kotwal raised the issue of financial assistance to skilling & training school 'JOSH' at Mega CFC SEEPZ, where the number of students have been increased from 75 to 200 per batch which includes 50 specially abled students.
The issue was deliberated in detail and it was decided that since it is mandate of Authority to develop infrastructure for growth of exports at SEEPZ SEZ, skilling & training of workforce for deployment to SEEPZ manufacturing units is an integral part of infrastructure development.
Therefore it was decided that

निर्णय :

1. सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण जीजेएससीआई द्वारा चलाए जा रहे मेगा सीएफसी में कौशल और प्रशिक्षण स्कूल 'जोश' को किराया मुक्त स्थान प्रदान करेगा और जीजेईपीसी से प्रशिक्षण स्कूल द्वारा उपयोग किए जा रहे चौथे तल के क्षेत्र के लिए आनुपातिक किराया नहीं लिया जाएगा।

2. संकाय के वेतन के खर्चों को पूरा करने और बेहतर स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए, प्राधिकरण "जोश" 1 को प्रति वर्ष.करोड़ रुपये का योगदान देगा 2, जो उक्त योगदान से किए गए खर्चों पर सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रशिक्षण स्कूल की आवश्यकता या मामले में किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर उनके निर्णयों की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया।

मुद्दा संख्या **02:-**

अध्यक्ष के अनुमोदन से, व्यापार सदस्य, श्री अभय दोशी ने, विशेष रूप से एसडीएफ-V में पुरानी इमारतों में शौचालय ब्लॉकों में अस्वास्थ्यकर स्थिति का मुद्दा उठाया और अनुरोध किया कि प्राधिकरण को इसके लिए तत्काल मरम्मत करनी चाहिए। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि सेवा शुल्क कम करके दो-तिहाई मरम्मत राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। हालाँकि, सदस्य ने अनुरोध किया कि चूंकि यह SEEPZ में कार्यबल के स्वास्थ्य स्वच्छता का मामला है, इसलिए मरम्मत राशि की प्रतिपूर्ति लंबी अवधि में किस्तों में करने के बजाय एक बार में की जानी चाहिए।

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अपने भवन के शौचालय ब्लॉकों की मरम्मत के लिए इकाइयों द्वारा की गई लागत का 50% प्रतिपूर्ति करेगा, बशर्ते कि लागत के दस्तावेजी साक्ष्य और भवन के सभी रहने वालों की संतुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। यह किसी भी व्यक्तिगत इकाई द्वारा किए जा रहे किसी भी मरम्मत कार्य पर लागू नहीं होगा।

Decision:

1. SEEPZ SEZ Authority shall provide rent free space to skilling & training school 'JOSH' at Mega CFC being run by GJSCI and the GJEPC will not be charged the proportionate rent for the area at 4^{th} floor being utilized by the training school.

2. To meet the expenses towards the wages to the faculty and to hire experts in various fields to impart improved level of training, Authority will contribute Rs. 1.2 crore per annum to "JOSH" who will issue the utilisation certificate with all documentary evidences on expenses made from the said contribution. It was also decided to review this decision as and when required depending upon the need of the training school or any adverse report in the matter.

Issue No. 02:-

With the approval of the Chairman, the trade member, Shri Abhay Doshi, raised the issue of unhygienic condition at toilet blocks in old buildings especially at SDF-V and requested that Authority should undertake urgent repairs for the same. Chairman apprised that a decision has already been taken by Authority regarding re-imbursement of $2/3^{rd}$ repair amount by way of reducing the service charges. However, the member requested that since it is a matter of health hygiene of the workforce at SEEPZ, the repair amount should be reimbursed at one go instead of reimbursing in installments over a long period.

Decision: After deliberations it was decided that Authority shall reimburse 50% of the cost incurred by the units towards the repairs of toilet blocks of their building subject to submitting of documentary evidences of the cost and a certificate from all occupants of the building to the satisfaction of the said work. This will not applicable to any repair work being conducted by any individual unit.

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

यह सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

This issues with the approval of the Chairperson, SEEPZ SEZ Authority.

01.04.24

(सी. पी. एस. चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़ सेज़,
सदस्य/सचिव